

परिशिष्ट-1
आवेदन-सह-घोषणा पत्र
आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष.....) हेतु

1. व्यक्तिगत विवरण

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :-					
2	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या/दिनांक) :-					
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :-					
4	जन्म तिथि :-	5	लिंग	पुरुष()	महिला ()	ट्रांसजेंडर ()
6	जाति*	7	धर्म :-			
8	आवासीय पता :-					
(क)	स्थायी पता :- गाँव/मुहल्ला	प्रखण्ड	डाकघर			
	थाना	अनुमण्डल	जिला	पिन	राज्य	
(ख)	वर्तमान पता :-गाँव/मुहल्ला	प्रखण्ड	डाकघर			
	थाना	अनुमण्डल	जिला	पिन	राज्य	
9	पिता का नाम :-	10	पिता की जाति :-			
11	माता का नाम :-					
12	पति का नाम :-	13	पति की जाति :-			

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	PAN
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष.....में सभी स्रोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :-

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पत्ति को जोड़कर) :-

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय प्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू-खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मुझे प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

* आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।

** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन तथा अटारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-2

आवेदक के अवयस्क होने की स्थिति में आवेदक के माता-पिता के द्वारा अपनी संतान के आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष) हेतु आवेदन-सह-घोषणा पत्र

1. व्यक्तिगत विवरण (अवयस्क हेतु) :-

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :-					
2	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या/दिनांक) :-					
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :-					
4	जन्म तिथि :-	5	लिंग	पुरुष ()	महिला ()	ट्रांसजेंडर ()
6	जाति* :-	7	धर्म :-			
8	आवासीय पता :-					
(क)	स्थाई पता :- गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य					
(ख)	वर्तमान पता :- गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य					
9	पिता का नाम :-	10	पिता की जाति :-			
11	माता का नाम :-					

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	PAN
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष..... में सभी स्रोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :-

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पत्ति को जोड़कर) :-

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय प्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू-खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मेरे पुत्र/पुत्री को प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

* आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।

** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

पिता/माता का हस्ताक्षर

(पिता/माता का नाम :-

(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

परिशिष्ट-3

आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता सत्यापन संबंधी आवेदन
(दो प्रतियों में)

सेवा में,

.....
.....
.....

महाशय,

मुझे (संस्थान/कार्यालय का नाम) द्वारा दिनांक-..... तक आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ है। संबंधित संस्थान/कार्यालय के मांग पत्र की प्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर मेरे पक्ष में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्यापन निर्गत करने की कृपा की जाय।
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान-.....

नाम-.....

दिनांक-.....

पिता/पति का नाम-.....

स्थायी पता-.....

.....

मोबाईल नं०-.....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

कार्यालय का नाम-.....

तत्काल सेवा हेतु अर्हता का सत्यापन

झारसेवा पोर्टल पर आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए तत्काल सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति का नाम पता..... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा उसके साथ अनुलग्न संबंधित संस्थान/कार्यालय के एतद् सम्बन्धी ज्ञापन/दस्तावेज का अवलोकन किया।

इनका आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-....., दिनांक-..... में वर्णित प्रावधान के आलोक में 'तत्काल सेवा' अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्वीकार करने योग्य पाया।

सत्यापन करनेवाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम-.....

पदनाम-.....

स्वघोषणा पत्र

स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II) प्रमाण पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी
हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.08.1950(अ.ज.)/06.09.1950 (अ.ज.ज.)/10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते-गाँव/मुहल्ला
..... प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल
..... जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।
अथवा,

मैं पिता राज्य
का/की मूल निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-

4. मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना
..... अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य
के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।

5. मैंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के रूप में सूचीबद्ध है।

6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या
पंचायत/वार्ड के खतियानी रैयत का/की हूँ।
खतियानी रैयत का नाम (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी
↓
द्वितीय पीढ़ी
↓
तृतीय पीढ़ी
↓
चतुर्थ पीढ़ी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

7. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है अथवा भूमिहीन है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण-पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई
निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.08.1950 (अ.ज.)/06.09.1950 (अ.ज.ज.)/10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा
वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते-गाँव/मुहल्ला
..... प्रखण्ड डाकघर
थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य
..... निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं पिता राज्य
का/की मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर
झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
4. मैं गाँव/मुहल्ला

..... प्रखण्ड डाकघर थाना
..... अनुमण्डल जिला पिन राज्य
..... पर सामान्य/स्थायी रूप से निवासित हूँ।

5. मैंने अपने पुत्र/पुत्री के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या
..... पंचायत/वार्ड के खतियानी रैयत का/की हूँ। (यह कण्डिका
आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

खतियानी रैयत का नाम (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी

↓
द्वितीय पीढ़ी

↓
तृतीय पीढ़ी

↓
चतुर्थ पीढ़ी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

5. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

घोषणा पत्र

आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का जाति प्रमाण पत्र के निमित्त (क्रीमीलेयर रहित)

मैं पिता झारखण्ड राज्य की/के स्थाई निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची I)/पिछड़ा वर्ग, अनुसूची II के मामले में/दिनांक-15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं पिता राज्य की/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
4. मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य के पते पर साधारण निवास करता/करती हूँ।
5. मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन गुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा गुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
7. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन गुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा गुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं हैं।
8. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रुपये है।
9. मेरे माता/पिता की कृषि से वार्षिक आय रुपये है।
10. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपये है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं, मौजा _____ खाता संख्या _____ प्लॉट संख्या _____ पंचायत/वार्ड _____ के खतियानी रैयत _____ का/की _____ हूँ।

खतियानी रैयत का नाम _____ (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी _____

↓
द्वितीय पीढ़ी _____

↓
तृतीय पीढ़ी _____

↓
चतुर्थ पीढ़ी _____

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के माता/पिता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के निमित्त क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र हेतु

मैं..... पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-I /पिछड़ा वर्ग, अनुसूची-II के मामले में)/दिनांक-15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं/मेरे पिता राज्य का/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

- मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री भारत का/की नागरिक है।
- मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
- मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
- मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन राज्य के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।
- मैंने अपने पुत्र/पुत्री के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
- मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों (जो लागू न हो उसे काट दें) भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं हैं।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों की वेतन से वार्षिक आय रुपया है।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों की कृषि से वार्षिक आय रुपया है।
- मैं/मेरी पत्नी/दोनों का अन्य स्रोतों से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपया है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा _____ खाता संख्या _____ प्लॉट संख्या _____
पंचायत/वार्ड _____ के खतियानी रैयत _____ का/की _____ हूँ।
खतियानी रैयत का नाम _____ (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी _____

↓
द्वितीय पीढ़ी _____

↓
तृतीय पीढ़ी _____

↓
चतुर्थ पीढ़ी _____

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

(पिता/माता का नाम-.....)

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के साथ समर्पित किया जाएगा)

मैं..... पिता

पति/पत्नी..... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर.....

..... पोस्ट..... थाना.....

अंचल जिला..... राज्य.....

एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93 स्था0 (एस0सी0टी0)/झारखण्ड राज्य के संकल्प सं0....., दिनांक..... में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला, अंचल के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मेरे माता-पिता की वार्षिक आय आठ (8) लाख रुपये से कम होने के कारण मैं क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता-पिता दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हैं।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र सं०-1754, दिनांक-25.02.2019 के आलोक में जाति निर्धारण हेतु स्थानीय जांच हेतु शपथ पत्र का आदर्श प्रारूप

(नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में)

1. मैं पिता श्री.....
वर्तमान में ग्राम/ शहर....., पोस्ट..... थाना.....
प्रखण्ड.....अनुमंडल..... जिला.....
राज्य..... में निवास करता/करती हूँ।
2. मैं/मेरे पूर्वज वर्ष से ग्राम/ शहर....., पोस्ट.....
....., थाना....., प्रखण्ड....., अनुमंडल.....
....., जिला..... राज्य..... में स्थायी रूप से
निवासित रहे है।
3. मेरे पिता की जाति है, जो झारखण्ड राज्य की अनुसूचित
जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)
अथवा झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है।
4. मुझे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र
सं०-1754, दिनांक-25.02.2019 की कंडिका-13 के आलोक में स्थानीय जाँच के माध्यम से
जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि:-
(क) मैं/मेरे पूर्वज के पास भू-अभिलेख/रेकॉर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात नहीं है।
(ख) मैं/मेरे पूर्वज के भू-अभिलेख/रेकॉर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात में अंकित
जाति में संशय की स्थिति है।
(ग) मैं/मेरे पूर्वज भूमिहीन हैं।
(जो लागू न हों, उसे काट दिया जाय।)
5. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी
जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य हैं। भविष्य में मुझे निर्गत प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की
स्थिति में इसे मेरे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त
अधिकार/सुविधा को हरण करने का कपटपूर्ण कार्य समझा जाएगा तथा इसके लिए मेरे
विरुद्ध आपराधिक षड़यन्त्र का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त प्रमाण
पत्र के आधार पर प्राप्त नियोजन अथवा आरक्षण के अन्य लाभ से मुझे वंचित किया जा
सकेगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर